

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

पत्र संख्या-9/उपा०बीज०अनु०-17/2016

/कृ०, पटना, दिनांक

2016

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, मा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स वसुधा सीड्स प्रा० लिमिटेड,
C/O-सुमित्रा एजेंसी, जे०-157,
पी०सी० कॉलोनी कंकड़बाग, पटना-20

विषय : बीज बिक्री अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र 'ए' कोषागार चालान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिये पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडार का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अन्तर्गत घोषित बीज निरीक्षक समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अन्दर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज बिक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या सं० 395/2016 संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित संलग्न सूची के फसल प्रभेदों का ही व्यापार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि 09/11/2016 तक मान्य है।

विश्वासभाजन,

ह०/...

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

दूरभाष सं०-0612-2215895 फैक्स नं०-0612-2204245

/कृ०, पटना, दिनांक 10-11-2016

ज्ञापांक-

4624

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान, उप निदेशक (शष्य), मुख्यालय, उप निदेशक (शष्य) बीज, उप निदेशक (शष्य) फसल, उप निदेशक (शष्य) तेलहन, उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण, उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य), सभी जिला कृषि पदाधिकारी, सभी जिला उद्यान पदाधिकारी (कृषि स्नातक), सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

पत्र संख्या-9/उपा०बीज०अनु०-17/2016

4624

/क०, पटना, दिनांक 10-11-2016

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा0प्र0से0
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स वसुधा सीड्स प्रा० लिमिटेड,
C/O-सुमित्रा एजेंसी, जे०-157,
पी०सी० कॉलोनी कंकड़बाग, पटना-20

विषय : बीज बिक्री अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र 'ए' कोषागार चालान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन कमांक-7 के लिये पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडार का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अन्तर्गत घोषित बीज निरीक्षक समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अन्दर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज बिक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या सं० 395/2016 संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित संलग्न सूची के फसल प्रभेदों का ही व्यापार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि 09/11/2019 तक मान्य है।

विश्वासभाजनी

(हिमांशु कुमार राय,)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

दूरभाष सं०-0612-2215895 फॅक्स नं०-0612-2204245

/क०, पटना, दिनांक 10-11-2016


ज्ञापांक-

4624

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान, उप निदेशक (शष्य), मुख्यालय, उप निदेशक (शष्य) बीज, उप निदेशक (शष्य) फसल, उप निदेशक (शष्य) तेलहन, उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण, उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य), सभी जिला कृषि पदाधिकारी, सभी जिला उद्यान पदाधिकारी (कृषि स्नातक), सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सभी बीज निरीक्षक को सूचनाार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

103



FORM 'B'
(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

Licence No. 395 Date 10/11/2016

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the licence Sri/मेसर्स वसुधा सीड्स प्रा० लिमिटेड, पटना is hereby granted licence to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business at C/O- सुमित्रा एजेन्सी, जे०-157, पी०सी० कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
मौजा - रानीपुर, मोहल्ला-मुर्तिजीगंज, थाना - मेंहदीगंज, खाता नं०-158	द्वारा- सुमित्रा एजेन्सी, जे०-157, पी०सी० कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना-20,
पूरब - श्री मोदी महतो	पूरब - जे०-156
पश्चिम - सड़क	पश्चिम - जे०-158
दक्षिण - निज लेख्यकारीगण	दक्षिण - सड़क
उत्तर - न्यू प्लैट नं०-2387	उत्तर - परती जमीन

Date : 10/11/2016
Seal :
F.No 09/370/अन्य/पटना - 17/2016 - 4624

[Signature]
4.11.16
Licensing Authority
Director of Agriculture
Bihar, Patna

TERMS OF CONDITIONS OF LICENCE

1. The licence shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the licence shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This licence comes into force with immediate effect and shall be valid upto 09/11/2019 (09 November 2019) Unless previously cancelled or suspended.
4. The holder of the licence shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The licence shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Separate licence should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).